



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 257 राँची, शुक्रवार, 1 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
22 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

13 फरवरी, 2023

ज्ञापक -05/म0स०/रा0यो0 (SBPKSY)-385/2022-344--

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत संचालित "सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना"के मार्ग निर्देशिका में आंशिक संशोधन की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प सं0-2033, दिनांक- 05.09.2022 द्वारा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के दृष्टिगत "सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना" के क्रियान्वयन की स्वीकृतिप्रदान की गई है:-

(क) महिला सशक्तिकरण ।

(ख) बालिका शिक्षा पर जोर ।

(ग) बाल विवाह प्रथा का अन्त ।

(घ) उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृत्ति को कम कराना एवं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना ।

(ङ) किशोरियों के स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता ।

(च) किशोरियों की अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना ।

2. योजनान्तर्गत आच्छादान को व्यापक करने तथा वर्तमान परिदृश्य में कतिपय प्रमाण पत्रों के व्यवहार्यता/अनुपलब्धता को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त तथा योजना प्राधिकृत समिति द्वारा प्रदत्त शर्तों के आलोक में संकल्प की कंडिका-2.3 में वर्णित पात्रता के अतिरिक्त बिन्दु 2.3 (i) (c) के रूप में निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है-

2.3 (i) (c) "विवाह योग्य निर्धारित न्यूनतम कानूनी आयु के पूर्व लाभुक का विवाह नहीं हुआ हो ।"

3. संकल्प की कंडिका 2.3 (iv) जिसमें पात्रता संबंधी प्रावधान:- "बालिका का जन्म प्रमाण पत्र हो, जिसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा" को विलोपित किया जाता है ।

4. संकल्प की कंडिका 2.3 (vii) (b) को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

बालिका के माता पिता की मृत्यु की स्थिति में बालिका के पालक माता पिता/अभिभावक से संबंधित कागजात मान्य होंगे। इस स्थिति में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा ।

5. संकल्प सं0-2033, दिनांक- 05.09.2022 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा। संशोधित मार्ग-निर्देशिका संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

6. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक- 09.02.2023 की बैठक में मद संख्या-20 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,

सरकार के सचिव
